(8)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 411/XXX(2)/2011
देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2011

अधिसूचना संख्या 411/XXX(2)/2011 दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत अपर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती की प्रकिया अल्पकालिक नियमावली 2011 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियॉ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त

आज्ञा से,
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 411 /XXX(2)/2011
देहरादूनः 18 भाद्र , 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, **"भारत का संविधान"** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत अपर सहायक अभियंता के सृजित पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती की प्रकिया को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत अपर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती की प्रकिया अल्पकालिक नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत अपर सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती की प्रकिया अल्पकालिक नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) नियम 2 के अध्यधीन रहते हुए यह नियमावली समस्त अभियंत्रण विभागों में राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सृजित किये गये अपर सहायक अभियंता के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन विभिन्न अभियंत्रण विभागों में सृजित अपर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी केवल एक चयन वर्ष 2010–11 के लिए प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियामवली में–

(क) **"संविधान"** से **"भारत का संविधान"** अभिप्रेत है;

(ख) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) **"अपर सहायक अभियंता"** से राज्य सरकार के नियंत्रण में समस्त अभियंत्रण विभागों में राजपत्रित श्रेणी के अन्तर्गत सृजित अपर सहायक अभियंता पद अभिप्रेत है।

भर्ती का स्रोत

4. मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियंताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति कनिष्ठ अभियंता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 75 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

5. (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या उत्तराखण्ड राज्य के लिए आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों की संख्या सहित अवधारित करेगा।

(2) अपर सहायक अभियंता के पद पर भर्ती अनपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नवत गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:–

(क) विभागाध्यक्ष	–	अध्यक्ष;
(ख) विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो कि अधीक्षण अभियंता से न्यून न हो	–	सदस्य;
(ग) विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत स्टाफ आफिसर अथवा समकक्ष अधिकारी	–	सदस्य।

नोटः– उक्त चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्यों में से यदि कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का अधिकारी न हो तो उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा चयन समिति में नामित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियंता के कार्य एवं दायित्व

6. अपर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियंता एवं अपर सहायक अभियंता के कार्य दायित्व समान होंगे और एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।